न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 128/2019

अनवान : –

1. चिमनदास, भंवरदास, सरदारदास पुत्रगण सरबती, भीखी पुत्री मदनदास पुत्र धनी पुत्री मोटदास, मांगीलाल, रामूदास, पुत्र कान्ता पुत्री मोहनदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. सोहनदास, गिरधारीदास, सहीरामदास पुत्र ईमरती, मीरा, धापू पुत्री डूंगरदास जाति स्वामी निवासी खुंईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

9. पार्वती पत्नी राधाकिशन पुत्र डुंगरदास स्वामी खुंईया तहसील नोहर।

10. दयाराम 11 सावित्री 12 परमेश्वरी पुत्रीया जेसदास पुत्र डुंगरदास स्वामी निवासी खुंईया तहसील नोहर।

13. महावीर 14 रमेश पुत्र मोहनदास पुत्र डुगरदास स्वामी निवासी खुंईया तहसील नोहर।

15. ओमदास 16 दुलदास 17 बनवारीदास 18 शिशपालदास 19 हुणपतदास 20 मघी 21. कुनणी 22. भंवरी पुत्रीया 23 कुम्भा देवी पत्नी बिशनदास स्वामी निवासी खुंईया तहसील नोहर।

24. नानदास पुत्र सांवलदास स्वामी निवासी भोजासर तहसील सरदारशहर।

25. सुरजदास 26 प्रतापदास 27 खिराजदास पुत्र 28 रामप्यारी/सतड़ी

29. गीता पुत्री भानीदास पुत्र बुधरदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तह0 सरदारशहर।

30. हनुमान 31. भंवरी पुत्री मूलदास पुत्र सांवलदास स्वामी निवासी भोजासर।

32. मनोहर देवी 33. नानूदेवी पुत्र सांवलदास जाति स्वामी निवासी भोजासर

34. केसरदेवी पुत्री बुधरदस स्वामी निवासी भोजासर छोटा तह0 सरदारशहर।

35. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मांगेराम बैनीवाल अधिवक्ता **सायल**
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 3/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा खुंईया के खाता स0 316 ख0न0 766 की 7.8050 हैक्ट, खाता स0 317 के ख0न0 567 की 0.8730 हैक्ट, ख0न0 701 की 2.1760 हैक्ट ख0न0 702 की 5.7810 हैक्ट भूमि पैतृक जोत है। उक्त भूमि पर प्रार्थीग[illegible] है। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा से अधिक के खातेदार [illegible] भूमि के 1/4 हिस्सा भूमि के खतोदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 23 [illegible]थीगण के कब्जा का[illegible] दखल दे रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:08:54 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने निवेदन किया की जवाब नही पेश करना चाहते है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने निवेदन किया की मैरिट के आधार पर प्रार्थना पत्र का निर्णय फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि में गैरसायलान द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखल दिया जा रहा है एवं खड़ी फसल को खुर्द बुर्द किया जा रहा है लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखल किया जा रहा है उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीग के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 3/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:08:54 IST
Reason: SelfAttested